17 हजार की रिश्वत लेते गिरदावर, पटवारी व ड्राइवर गिरफ्तार

प्रथम जांच में तहसीलदार घसीटाराम बैरवा की भी इस रिश्वत कांड में संलिप्तता पाई गई है

बौंली, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर की टीम ने मलारना डूंगर तहसील कार्यालय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरदावर विमल कुमार अग्रवाल, पटवारी राम प्रसाद बैरवा व तहसीलदार के ड्राइवर सईद खान को अलग-अलग स्थान पर 17 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है एवं प्रथम जांच में तहसीलदार घसीटाराम बैरवा की भी इस रिश्वत कांड में संलिप्तता पाई गई है।

एसीबी सवाई माधोपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया था कि जमीन की पैमाइश के लिए गिरदावर विमल कुमार अग्रवाल व पटवारी राम प्रसाद बैरवा पांच 5 हजार की एवं तहसीलदार का ड्राइवर सईद खान तहसीलदार के लिए 10 हजार की रिश्वत राशि मांग रहा है। इस पर एसीबी ने प्रथम सत्यापन के दौरान पटवारी ने 3 हजार व गिरदावर ने 2 हजार ले ली एवं सोमवार को बकाया राशि गिरदावर विमल कुमार अग्रवाल ने 3 हजार व पटवारी राम प्रसाद बैरवा ने 2 हजार एवं तहसीलदार के चेंबर में तहसीलदार के ड्राइवर सईद खान ने 10 हजार की रिश्वत ली तीनों को अलग-अलग स्थान से 17 हजार की नगद राशि रिश्वत की लेते गिरफ्तार कर 17 हजार बरामद किए गए हैं।

ए.सी.बी. की टीम ने गिरदावर, पटवारी व तहसीलदार के ड्राइवर को अलग-अलग स्थान पर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

- **जमीन की पैमाइश के लिए गिरदावर व पटवारी एवं तहसीलदार के ड्राइवर ने रिश्वत राशि मांगी**
- **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर की टीम ने मलारना डूंगर तहसील कार्यालय पर कार्रवाई की**

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम द्वारा की गई कार्रवाई से पूरे तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया एवं कर्मचारी कार्यालय छोड़कर भूमिगत हो गए। एसीबी की सवाई माधोपुर टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में सर्किल इंस्पेक्टर विवेक सोनी, कांस्टेबल जुगलाल, भोलाराम, मनोज कुमार, राजवीर सिंह, हमीर सिंह, रमेश कुमार व संजय कुमार शामिल थे। एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि मलारना डूंगर तहसील कार्यालय में कर्मचारियों व दलालों के खिलाफ काफी समय से शिकायत प्राप्त थी एवं एक विशेष अभियान चलाकर कार्यालय में दलाल व कर्मचारियों को भी पकड़ा जाएगा।

मालगाड़ी की चपेट से महिला और दो बच्चों की मौत

- **सुबह ससुराल से बच्चों को लेकर निकली थी, शवों का एमजीएच में कराया पोस्टमार्टम**
- **महिला ने आत्महत्या की या वह ट्रेक पार कर रही थीं, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है**

जोधपुर, कासं)। शहर के नागौर रोड स्थित मंडलनाथ से आगे ओटीसी होटल के सामने सोमवार की सुबह एक महिला और उसके दो मासूम बच्चों की मालगाड़ी चपेट में आने से मौत हो गई। तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मालगाड़ी फलोदी से जोधपुर की तरफ आ रही थी। मृतका की पहचान के साथ दोपहर में तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। महिला ने आत्महत्या की या वह ट्रेक पार कर रही थीं, इस बारे में पुलिस की तरफ से अनुसंधान किया जा रहा है।

करवड़ थाने के एएसआई मोहनराम ने बताया कि सुबह नौ सवा नौ बजे के करीबन एक मालगाड़ी फलोदी से जोधपुर की तरफ आ रही थी। मालगाड़ी जब मंडलनाथ रोड से आगे ओटीसी होटल के सामने पहुंची तो एक महिला और उसके दो मासूम बच्चे मालगाड़ी चपेट में आ गए। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को पहले मंडोर रेलवे स्टेशन पर रखवाया गया। बाद में पहचान के प्रयास किए गए। इस पर उनकी पहचान उम्मेद नगर, मथानिया की निरमा (25) पत्नी सुरेश विश्नोई और कार्तिक (7) और विशाल (3) के रूप में की गई। एएएसआई मोहनराम ने बताया कि मृतका का पीहर पल्ली विश्नोईयो की ढाणी और ससुराल उम्मेद नगर में है। आज सुबह वह ससुराल से बच्चों को लेकर निकली थी। उसने आत्महत्या की या फिर ट्रेक पर मालगाड़ी की चपेट में आई । इस बारे में अग्रिम जांच की जा रही है।

सूत्रों की माने तो सोमवार सुबह 7 बजे निरमा बेटे कार्तिक (7) और विशाल (3) को लेकर मथानिया से बस में चढ़ी। वह मंडलनाथ इलाके में उतर गई और बच्चों को लेकर ट्रैक पर आ गई। वह ट्रैक पर आई और वहां ओटीसी के पास खड़ी हो गई। निरमा ने ट्रेन का इंतजार किया। सुबह 9.15 बजे फलोदी की ओर से मालगाड़ी आते देखकर उसने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और ट्रेन के आगे कूद गई। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनो की तरफ से दी जाने वाली रिपोर्ट पर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

हादसे में एक घायल

मालपुरा, (निसं)। दूदू छाण स्टेट हाईवे पर गनवर के पास सोमवार की सवेरे ट्रेक्टर व बाईक में हुई भिंडत हादसे में गंभीर घायल बाईक चालक कचोलिया निवासी अर्जुन सिंह घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को मालपुरा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया।

राजस्थान सरकार वन विभाग
क्रमांक प.1 (15) वन/2023 जयपुर दिनांक 28.6.2023
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर
विषय: Diversion of 0.1828 ha Forest area for permission for laying Underground OFC in forest area along road from Vijaipur-Rooppura from Lat/ long 24.791558/ 75.718341 to 24.765172/ 75.740787 for total length of 4.063 KM and total area 0.1828 ha in Chittorgarh District, Rajasthan (Online Proposal: FP/RJ/OFC/144983/2021)
संदर्भ:-ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OFC/144983/2021
महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Jio Digital Fiber Pvt Ltd (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.1828 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों एवं नवीन निर्देश दि. 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1828 ha Forest area for permission for laying Underground OFC in forest area along road from Vijaipur-Rooppura from Lat/ long 24.791558/ 75.718341 to 24.765172/ 75.740787 for total length of 4.063 KM and total area 0.1828 ha in Chittorgarh District, Rajasthan (Online Proposal: FP/RJ/OFC/144983/2021) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-
1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिक्व होने पर, वन विभाग के होगें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदुरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंप नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदुरों/ स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस -पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दि.24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश: प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारीयों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदीय,
(मोनाली सेन) विशेषाधिकारी, वन

राजस्थान सरकार वन विभाग
क्रमांक प.1 (24) वन/2023 जयपुर दिनांक 28.6.2023
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर
विषय: Diversion of 0.0482 ha. For permission for laying Underground OFC in ROW of existing PWD road from Ajmer to Harsore from Latitude/longitude point 26.6671/ 74.704598 to 26.666798/74.715323 for total and area in forest are 1.071 KM & 0.0482 ha (Online Proposal: FP/RJ/OFC/122165/2021)
संदर्भ:-ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OFC/122165/2021
महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Jio Digital Fiber Pvt Ltd (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.0482 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों एवं नवीन निर्देश दि.27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.0482 ha. For permission for laying Underground OFC in ROW of existing PWD road from Ajmer to Harsore from Latitude/ longitude point 26.6671/ 74.704598 to 26.666798/ 74.715323 for total and area in forest are 1.071 KM & 0.0482 ha (Online Proposal: FP/RJ/OFC / 122165/2021) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-
1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिक्व होने पर, वन विभाग के होगें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदुरों/ स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदुरों/ स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस -पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दि.24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश: प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारीयों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदीया,
(मोनाली सेन) विशेषाधिकारी, वन

गैंगरेप के आरोपी का डी.एन.ए. टेस्ट होगा

बीकानेर, (निसं)। दलित युवती के साथ गैंगरेप और इसके बाद हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त दिनेश बिश्नोई का डीएनए टेस्ट करवाएगी। इस टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि दिनेश गैंगरेप में शामिल रहा है या नहीं। इस मामले में दो तत्कालीन पुलिस कॉन्स्टेबल मनोज और भागीरथ की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि दिनेश बिश्नोई का डीएनए टेस्ट एक-दो दिन में हो जाएगा। इसके लिए उसे बीकानेर लाया जाएगा। यहां पीबीएम अस्पताल में ये टेस्ट होगा और इसकी रिपोर्ट के बाद ही जांच आगे बढ़ सकेगी।

जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस को जो तथ्य मिले हैं, उसके कारण ही डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। उधर, मनोज और भागीरथ गैंगरेप में शामिल थे या नहीं, ये भी दिनेश बिश्नोई से पूछताछ और रिपोर्ट्स के आधार पर ही तय होगा। इस मामले में पुलिस अब तक छह जनों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें मुख्य अभियुक्त दिनेश बिश्नोई के अलावा बर्खास्त कॉन्स्टेबल मनोज, सस्पेंड कॉन्स्टेबल भागीरथ, दिनेश के पिता ओमप्रकाश, मकान किराए पर लेने वाले जस्सा, कार में पीड़िता को अस्पताल पहुंचाने वाला राकेश भी शामिल है। अब इस मामले में दिनेश को भागने में मदद करने वाले और उसे पनाह देने वालों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक दिनेश ने जिन लोगों को फोन किया, उनमें अधिकांश ने उसकी मदद नहीं की।

चोरी का आरोपी गिरफ्तार

मालपुरा, (निसं)। डिग्गी थाना क्षेत्र के डेंचवास गांव में हुई लाखों की चोरी मे लिप्त एक आरोपी को डिग्गी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। थानाधिकारी कप्तान सिंह ने बताया कि डेंचवास निवासी भवानीसिंह बडवा के यहां बीते दिनो तीन लड़कियों की शादी के आयोजन से एक दिन पूर्व मकान के पास आयोजित महिला संगीत मे व्यस्तता का मौका देख चोरों ने मकान मे घुस तकरीबन 3 लाख रूपये नगदी व आभूषण सहित मोबाईल चोरी की वारदात कर फरार हुए चोरो की तलाश के लिए पुलिस ने साईबर सेल व मुखबीर से जुटाई सूचना के आधार पर चोरी के आरोपी कालू उर्फ जीतराम उर्फ काल्या पुत्र प्रेमा मोग्या उम्र 21 साल निवासी भवानीपुरा को गिरफ्तार किया। आरोपी को पूछताछ की जा रही है। शेष आरोपियों की तलाश का प्रयास जारी है।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव क्या अलवर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हैं?

सांसद कोष से अलवर की 11 विधानसभा सीटों पर विकास के लिए स्वीकृत की गई राशि व भाजपा नेताओं व विधायकों से बढ़ती नजदीकी बनी संकेत

- **1977 से अलवर लोकसभा सीट पर केवल तीन बार ही गैर यादव चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं**

किशनगढ़ बास, (निसं)। राज्यसभा सांसद व भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर जिले में सांसद निधि के बजट को आवंटन कर विधायक और जनता को खुश करने में लगे हैं। इसके पीछे बताया जा रहा है कि भूपेंद्र यादव की अलवर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी है। यह कयास विपक्ष के नेताओं से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच लगाए जा रहे हैं। वैसे चुनाव होने में अभी करीब एक साल और बाकी है और ना ही अभी तक कोई ऐसे संकेत भूपेंद्र यादव की ओर से दिए गए हैं।

अलवर लोकसभा सीट 1977 से यादव बाहुल्य रही यहां से ज्यादातर चुनाव यादव प्रत्याशी जीत कर लोकसभा पहुंचे हैं। वर्तमान में सांसद महंत बालक नाथ यादव जाति से आते हैं और करीब 3 लाख से अधिक वोटों से जीत कर लोकसभा पहुंचे हैं। इससे पहले महंत चांदनाथ भी यादव जाति से रहे हैं। इसके अलावा डॉ. जसवंत यादव भाजपा, डॉ. करण सिंह यादव कांग्रेस, राम सिंह यादव कांग्रेस, घासीराम यादव कांग्रेस व रामजी लाल यादव चुनाव जीतकर लोकसभा में अलवर से नेतृत्व कर चुके हैं।

इस यादव बाहुल्य अलवर सीट पर ऐसा नहीं है कि यादव ही बार-बार चुनकर लोकसभा पहुंचे है। यहां से अलवर राजघराने की बहू युवरानी महिंद्रा कुमारी व पंडित नवल किशोर शर्मा सांसद बने व अलवर राजघराने के युवराज भंवर जितेंद्र सिंह केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। भंवर जितेंद्र सिंह का कांग्रेस पार्टी में बड़ा नाम है और वह गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। लोकसभा के 2024 में चुनाव होने हैं और करीब 1 साल अभी चुनाव में शेष हैं। इससे पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अलवर जिले के भाजपा नेताओं व विधायकों से बढ़ती नजदीकी एवं किशनगढ़ बास, तिजारा, मुंडावर, बहरोड, बानसूर, अलवर, रामगढ़, राजगढ़, थानागाजी सहित विधानसभा क्षेत्रों में राज्यसभा सांसद निधि कोष से विकास कार्यों के लिए बजट आवंटन को होने वाले लोकसभा चुनाव की निगाहों से देखा जा रहा है। ऐसे में भूपेंद्र यादव यह भी चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में अलवर की 11 की 11 सीटें भाजपा जीते। जिससे होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिल सके।

दुष्कर्म के बाद युवती की टांके में धक्का देकर हत्या

आरोपी युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी की

- **युवती का आज होना था मुकलावा, युवक पाली का रहने वाला है**
- **मृतका के भाई ने रेप और हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी**

जोधपुर, (कासं)। निकटवर्ती गांव में 1-2 जुलाई की आधी रात को युवक पड़ौस में रहने वाली युवती के घर में घुस गया। उससे दुष्कर्म किया और फिर उसे पानी के टांके में धक्का देकर गिरा दिया। युवती को जब तक बाहर निकाला जाता उसकी मौत हो गई। इस युवती का आज सोमवार को मुकलावा होना था। इधर इस घटना के साथ ही आरोपी युवक जोधपुर से भाग गया और पाली अपने घर जाकर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती के भाई की तरफ से दुष्कर्म एवं हत्या की रिपोर्ट दी गई है। जांच प्रशिक्षु आरपीएस मीनाक्षी द्वारा की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि एक गांव में 1-2 जुलाई की आधी रात साढ़े तीन बजे एक युवक भरत मेघवाल अपने पड़ौस में रहने वाली युवती से मिलने उसके घर में घुस गया। घटना के समय युवती की मां और बहन छत पर सो रहे थे। कुछ देर बार मां की नींद खुली तो देखा कि युवती पास में नहीं है। इस पर वह छत से नीचे जाने लगी तो पता लगा कि पड़ौसी भरत दुष्कर्म कर रहा था। पता लगने पर उसने युवती को धक्का देकर पानी के टांके में गिरा दिया। शोर सुनकर घर में अन्य लोग जाग गए। इस पर युवती को पानी के टांके से बाहर निकाला गया तब तक वह मर चुकी थी।

मृतका के भाई ने भरत पर रेप और हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी है। इधर पुलिस के अनुसार आरोपी घटना के बाद अपने गांव पाली चला गया और उसने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती का भी आज मुकलावा होने वाला था। फिलहाल मामले में प्रशिक्षु आरपीएस मीनाक्षी की तरफ से जांच की जा रही है।

छह बाइक बरामद, दो गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। शहर के हाथीपोल थाना पुलिस ने एमबी चिकित्सालय परिसर से बाइक चोरी की वारदात करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी की छह बाईकें बरामद की। प्रकरण के अनुसार 30 जून को नयन सेठ ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि 28 जून को आरएनटी मेडिकल कॉजेल स्टाफ पार्किंग पर अपनी बाइक खड़ी की थी। सांय वापस देखा तो बाइक नहीं थी। जिसकी तलाश करने पर भी नहीं मिली। इस मामले में गठित पुलिस दल ने मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर फरहान कुरेशी उर्फ फैसल पुत्र मोहम्मद सिद्दिक निवासी मेवाफरोश मार्ग अंजुमन चौक धानमण्डी तथा सैजान हुसैन उर्फ सुजल पुत्र शहजाद हुसैन निवासी खेरादीवाड़ा सूरजपोल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूछताछ में आरोपियों की निशानदेही से चोरी की गई छह बाइक बरामद की है।

डीलरशिप दिलाने के नाम पर 24 लाख की धोखाधड़ी

हनुमानगढ़, (निसं.)। कंपनी में डीलरशिप दिलाने के नाम पर कुछ लोगों ने एक युवक के साथ 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। कंपनी के प्रतिनिधि बनकर आए लोगों ने न तो अमानत राशि वापस लौटाई और न ही डीलरशिप दी। ठगी का शिकार हुए शख्स ने जंक्शन पुलिस थाना में दो नामजद और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।

अनुराग बिस्सु (36) पुत्र हसराज जाट निवासी 24 पक्कासारणा सदर थाना हनुमानगढ़ ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि उसकी कलेक्ट्रेट के सामने बीबी क्लिक नाम से दुकान संचालित थी। 2021 में ब्रांड स्टार बीएसएस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि विश्वदीप सरकार, इपशिता चौधरी और अन्य उसकी दुकान पर आए और कहा कि वे उनको अपनी कंपनी की डीलरशिप देना चाहते हैं। डीलरशिप के लिए इन लोगों ने स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट लिखवाया और नोटेरी करवाकर कंपनी के हेड ऑफिस भिजवा दिया। इन लोगों ने उसको 3 राज्यों की डीलरशिप देने का आश्वासन दिया और सिक्योरिटी पेटे अलग-अलग समय में उसकी फर्म के बैंक खाता से 10 लाख 65 हजार रुपए अपनी कंपनी के खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके अलावा 3 लाख 35 हजार रुपए नकदी भी ले लिए।

अनुराग ने बताया कि कुछ दिन बाद कंपनी के प्रतिनिधि विश्वदीप सरकार और इपशिता चौधरी उसके पास आए और कहा कि वह डिस्ट्रीब्यूटर पॉलिसी के तहत अपने नीचे सब डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर उनका विवरण, एग्रीमेंट और सिक्योरिटी राशि उनकी कंपनी में जमा करवाए। उसने राधेश्याम प्रोपराइटर्स फर्म, जेएस ब्रदर्स गोलूवाला और विकास प्रोपराइटर्स फर्म केएस क्लिक पीलीबंगा को सब-डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर उनकी एलओआई बनाकर कंपनी के माध्यम से भिजवा दिया। फर्म जेएस ब्रदर्स गोलूवाला की सिक्योरिटी राशि 2 लाख रुपए और फर्म केएस क्लिक पीलीबंगा की सिक्योरिटी राशि 2 लाख रुपए कंपनी में जमा करवा दिये। इस प्रकार उसने कुल 18 लाख रुपए जमा करवा दिए। इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि वह अपना ऑफिस तैयार करवा लें। जल्द ही उनको डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त कर देंगे। उसने 6 लाख रुपए खर्च कर अपना ऑफिस तैयार करवाया।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तीन केस दर्ज

जोधपुर, (कासं)। इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो अपलोड करना भारी पड़ेगा। बच्चों के अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 3 मामले दर्ज किए हैं।

पिछले महीने कमिश्नरेट क्षेत्र में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले सामने आए थे। बालेसर पुलिस ने बच्चों के वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के मामले में कोनरी आगोलाई निवासी प्रकाश, बालेसर सत्ता निवासी अर्जुनराम और गोपालसर निवासी मोहम्मद शरीफ के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। पुलिस को सेंट्रल टीम से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। यह सभी बच्चों के वीडियो वर्ष 2022 में अपलोड हुए थे। पिछले कई दिनों से सेंट्रल की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसे ही नाबालिग बच्चों और अश्लील वीडियो अपलोड करने वालों को ट्रेस कर रही है। जिले के चामू थाने में भी पुलिस ने सेंट्रल टीम से मिली एक सूचना के आधार पर आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया। इसमें बरनाउ के रहने वाले गोपाराम ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी से जुड़े वीडियो अपलोड किए थे ।जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

बेटी को छुड़वाने पहुंचे पिता की बदमाशों ने हत्या की

वारदात से आक्रोशित लोगों ने थाने के सामने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया

लालसोट, (निसं)। थाना क्षेत्र के डिगो ग्राम के रहने वाले नवल सिंह जागा की उसकी बेटी के अपहर्ताओं द्वारा पीट पीटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। घटना बीती रात उस समय की है जब मृतक नवल सिंह जागा उसकी नाबालिग पुत्री को रात्री करीब एक से दो बजे के बीच अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए तलाश कर रहा था। जिस समय नाबालिग का पिता बेटी को अपहर्ताओं के चंगुल से छुड़वाने के लिए खुद की पत्नी को बाइक पर बैठाकर इन्दावा के समीप पपलाज माता रोड से गुजर रहा था इसी दौरान उसकी नाबालिग बेटी के अपहर्ताओं द्वारा उसके ऊपर हमला बोल दिया।

किडनैप करने वाले बदमाशों द्वारा उसकी पत्नी के सामने किडनैप हुई बेटी के पिता को रात्रि में मोटरसाइकिल से गिरा कर बेरहमी से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इसी दौरान सामने से वाहन आता देख अपहर्ता नाबालिग लड़की को मौके पर छोड़कर फरार हो गए एवं जाते समय नाबालिग की मां से भी जमकर मारपीट कर उसे बेअदब कर दिया। इसके बाद वारदात से आक्रोशित लोगों द्वारा लालसोट थाने के सामने जाम लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं पुलिस प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई गई। वारदात के बाद बढ़ती भीड़ को देखते हुए आसपास के थाना अधिकारियों सहित पुलिस जाब्ते की तैनाती की सुरक्षा की दृष्टि से लालसोट थाने पर की गई एवं एसडीएम विजेंद्र मीणा, तहसीलदार मदनलाल मीणा, पुलिस उपाधीक्षक अरविंद गोयल, थाना अधिकारी नाथू लाल मीणा आदि अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की गई। जहां प्रदर्शनकारी हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर एवं मृतक आश्रितों को उचित मुआवजा सरकारी नौकरियां आदि की मांग पर अड़े रहे। साथ ही मांगें पूरी नहीं होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने एवं मृतक के पोस्टमार्टम में गतिरोध पैदा कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक अरविंद कुमार गोयल द्वारा थाना अधिकारी नाथू लाल मीणा को निर्देशित कर पुलिस टीम को एक्शन मोड पर लिया है एवं बताए गए हुलिए के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। जहां पहाड़ों में पीछा करते हुए पुलिस टीम द्वारा तीन आरोपियों को डिटेन कर लिया गया।

हत्या की वारदात को लेकर थाने में जमा आक्रोशित लोगों की भीड़।

- **पुलिस ने पहाड़ों में पीछा कर तीन आरोपियों को डिटेन किया**

धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता रामविलास मीणा द्वारा भी मौजूद प्रदेश सरकार पर एवं प्रदेश में बढ़ रही अपराधिक वारदातों को लेकर जुबानी हमला बोला। वहीं थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों द्वारा सूचना देने पर प्रदेश के वंशावली बोर्ड के अध्यक्ष राम सिंह राव मौके पर पहुंचे एवं घटना की जानकारी लेकर पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर इस वारदात को शीघ्र खोलने एवं पीड़ितों को राहत देने के निर्देश दिए गए।

वहीं राव द्वारा मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता आदि उपलब्ध कराने के लिए भी आग्रह किया गया। घटना के बाद पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालचंद कायल द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया एवं डिटेन किए गए आरोपियों से पूछताछ की गई। पुलिस द्वारा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द किया गया एवं सुरक्षा जाब्ते की मौजूदगी में मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए घर पहुंचाया गया। वहीं मामले को लेकर थाने में हत्या अपहरण पोक्सो एक्ट आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है।

राजस्थान सरकार वन विभाग
क्रमांक प.1 (31) वन/2023 जयपुर दिनांक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर
विषय: Diversion of 0.06143 ha Forest area for permission for laying Underground OFC in ROW of existing PWD road from Nathdwara to Iswal from Lat/long 24°53' 51.08" N/73°42' 33.72"E to 24°53' 34.36" N/73°41' 55.73" E in Rajsamand District Total length & area in Forest is 1.365 KM & 0.06143 ha in Rajsamand District, Rajasthan (Proposal No.: FP/RJ/OFC/153375/2022)
संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (OFC) 2022/एफसीए/ प्रमुवस/9827 दिनांक 2.5.2023
महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Jio Digital Fiber Pvt Ltd (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.06143 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा -2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों एवं नवीन निर्देश दि. 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.06143 ha Forest area for permission for laying Underground OFC in ROW of existing PWD road from Nathdwara to Iswal from Lat/long 24°53' 51.08" N/73°42' 33.72"E to 24°53' 34.36" N/73°41' 55.73" E in Rajsamand District Total length & area in Forest is 1.365 KM & 0.06143 ha in Rajsamand District, Rajasthan (Proposal No.: FP/RJ/OFC/153375/2022) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:
1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले को वृक्षों वनविभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिक्व होने पर, वन विभाग के होगें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदुरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंप नही लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदुरों/स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकट वर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/ पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
11. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
12. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दि.24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दि.7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश: प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारीयों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदीय,
(मोनाली सेन) विशेषाधिकारी